रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/13-14/93.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 3 जुलाई, 1993/12 आषाढ़, 1915

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जून, 1993

सं0 पी0 बी0 डब्ल्यू0(बी0) 15-14/83-I.—इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 6 जनवरी, 1993 को जारी रखते हुए राष्ट्रपति, भारत सरकार, शिमला विकास प्राधिकरण के गठन में क्रमांक संख्या 7 पर श्री आर0 एल0 बावा, चीफ प्रोजैक्ट हडको चण्डीगढ़ के स्थान पर क्षेत्रीय चीफ हडको चण्डीगढ़ को नियुक्त करते हैं ।

आदेश द्वारा,

अमर नाथ विद्यार्थी,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 24/26 जून, 1993

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5) 25/89-7708.—क्योंकि उप संभाग अधिकारी (ना0), विकास खण्ड निचार,

जिला किन्नौर की दिनांक 31-8-1990 की रिपोर्ट पर श्री गोविन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत पौंडा, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर को ग्राम पंचायत पौंडा की 20,000/- (बीस हजार रुपये) की धनराशि अपने रिश्तेदार को पेशगी में देकर छल हरण करने व पंचायत स्टाल को समय पर तैनात न करके पंचायत को आर्थिक हानि पहुंचाने का दोषी पाया है।

क्योंकि उपायुक्त, किन्नौर ने अपने पत्र संख्या कन्नर-502/79-520-522, दिनांक 23 जून, 1992 के अन्तर्गत श्री गोविन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत पौंडा, को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया था जिसका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

और क्योंकि मामले में सचाई जानने के लिए नियमित जांच का करवाया जाना जनहित में आवश्यक समझा गया है।

अतः भारत के राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत नीहित हैं, श्री गोविन्द सिंह नेगी, प्रधान ग्राम पंचायत पौंडा, विकास खण्ड निचार के विरुद्ध (संलग्न कार्यालय आदेश में) लगाए गए आरोपों की वास्तविकता को जानने के लिए उप-मण्डलाधिकारी (ना0), निचार को जांच अधिकारी तथा अधीक्षक कार्यालय, विकास खण्ड निचार को प्रस्तुतकर्ता नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव।

शिमला-2, 26 जून, 1993

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 5/92.—क्योंकि श्री प्रकाश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत सुकडियाल, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना को अदालत में गलत आदमी की शिकायत करने के फलस्वरूप अपने कर्त्तव्य पालन में कोताही करने का दोषी करार करते हुए, उपायुक्त ऊना द्वारा उनके पत्र संख्या पंच ऊना (4) 193/94-5518-20, दिनांक 30 दिसम्बर, 1992 द्वारा निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

क्योंकि उपरोक्त श्री प्रकाश चन्द का स्पष्टीकरण उपायुक्त ऊना की टिप्पणियों सहित निदेशालय में प्राप्त हुआ जिससे यह स्थिति सामने आई कि प्रधान ने किसी के कहने पर बतौर प्रधान बेनामा में शिनाखत कर दी थी परन्तु रजिस्ट्री होने पर जब उन्हें यह पता चला कि बाबू राम ने स्वयं रोशल लाल बनकर यह बेनामा तसदीक करवा लिया तो उन्होंने 20-3-91 को सब-रजिस्ट्रार बंगाणा के कार्यालय में लिखित अनुरोध करके इस बेनामा को मन्सुख करने का तथा इन्तकाल न करने का आग्रह किया;

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि श्री प्रकाश चन्द, प्रधान का ऐसा करने में कोई निजि स्वार्थ (मन्शा) नहीं थी और अन्जाने से ही उन द्वारा यह कृत्य किया गया;

अतः भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (ए0) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री प्रकाश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत सुकडियाल, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना को भविष्य में ऐसे कृत्य करने के लिए सचेत करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

हस्ताक्षरित/-
निदेशक एवं अतिरिक्त सचिव।

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।